(वाद संख्या–4502/18)

05.01.2021

परिवादी, अमावस दास, अपने पुत्र, अजय कुमार, के साथ उपस्थित हैं।

परिवादी व उनके पुत्र को सुना।

प्रसंगाधीन मामला, एक पूर्व सैनिक के साथ मार–पीट कर उसे सरकार द्वारा बंदोबस्त की गयी 60(साठ) डी0 जमीन से बेदखल करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त सैनिकों को भी उसीतरह जमीन की बंदोबस्ती की जाती है जिसप्रकार अन्य सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को सरकारी जमीन (कृषि कार्य एवं आवास निर्माण के लिए) दी जाती है अर्थात् कृषि कार्य के लिए 02(दो) एकड़ तथा आवास के लिए 121/2(साढ़े बारह) डी0 जमीन दिये जाने का प्रावधान है बशर्ते **सैनिक सेवा में रहते हुए जमीन की बंदोबस्ती के लिए आवेदन दिया हो** तथा वे **भूमिहीन हो अर्थात् वास की जमीन को मिलाकर 50(पचास) डी0 जमीन से अधिक उन्हें नहीं हो।** प्रतिवेदनानुसार **परिवादी, अमावस दास ने वर्ष, 1994 में जमीन बंदोबस्त हेतु आवेदन दिया था, जबकि वह दिनांक–01.02.1993 को ही भारतीय वायु सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे।** परिवादी अमावस दास ने नौकरी के दौरान 09(नौ) डी0 जमीन अपनी पत्नी, कौशल्या देवी, के नाम से क्रय भी किया था।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित **परिवादी यह स्वीकार करते हैं कि सेना से सेवानिवृत्ति के बाद ही उन्होंने सरकारी नियम के आलोक में बंदोबस्ती हेतु आवेदन दिया था।** लेकिन उनका कथन है कि उन्हें सेवारत रहते ही आवेदन दिये जाने संबंधी प्रावधान की जानकारी नहीं थी।

परिवादी द्वारा खाता संख्या–447, प्लॉट संख्या–936 व प्लॉट संख्या–889 के जिस 60(साठ) डी0 जमीन की उन्हें पूर्व में सरकार द्वारा बंदोबस्ती किये जाने का अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है उसके संबंध में जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त दोनों ही खेसरा जल श्रोत है तथा राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी स्थिति में जल–निकायों का स्वरूप

बदलने पर उनका अन्तर्विभागीय हस्तांतरण अथवा बंदोबस्ती (लीज सहित) नहीं किया जाय। प्रतिवेदनानुसार परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथाकथित बंदोबस्ती की गयी जमीन उसे किसी भी स्थिति में बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है। राज्य आयोग द्वारा परिवादी से उसे तथाकथित 60(साठ) डी0 जमीन की बंदोबस्ती से संबंधित सुसंगत कागजात की मांग की गयी जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी। **उपरोक्त परिस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी, अमावस दास, भूतपूर्व सैनिक द्वारा सरकारी नियमानुसार भूमि बंदोबस्ती किये जाने से संबंधित सरकारी शर्त्तों को वह पूरा नहीं करते हैं।**

अब, जबकि परिवादी भूतपूर्व सैनिकों को भूमि बंदोबस्ती किये जाने से संबंधित सरकारी शर्त्तों को पूरा ही नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश व जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम के प्रतिवेदन (पृ0–39–18/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक